तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज किशनलाल बनाम प्राधिकृत अधिकारी अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/165	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार भू अभिलेख जयपुर द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1) के तहत स्वीकार नामान्तरकरण दिनांक 06.04.2023 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से अधिवक्ता अपीलार्थी को हस्तगत अपील वापस लोटाई जावें एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थना पत्र प्राप्त किये Nolu Sharma